प्रभारी मीडिया,

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार दो समाचार पत्र **दैनिक हिन्दुस्तान** एवं **दैनिक शाह टाईम्स** समाचार पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

ई-निविदा

पत्रांकः 108/अ0न0आ0/न0नि0सहा0/2024-25 दिनांक : 31/07/2024

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि व्यवसायिक भवनों से वसूली हेतु ठेका यूजर चार्ज की निविदा दिनांक 22.08.2024 को आमंत्रित की गयी है, उक्त ठेके की अवधि 02 वर्ष की होगी, ऑफरदाता ऑनलाईन टैण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं-

क्र0सं0	ठेके का नाम	जमानत/ धरोहर राशि	न्यूनतम ऑफर प्रतिमाह जी0एस0टी0 सहित।
01	ठेका यूजर चार्ज	30 लाख	13,92,831/-

नोटः-

1. टैण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व शपथ प्रमाण पत्र(फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नहीं है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है। ठेके में निर्धारित जमानत राशि ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही जमा करनी होगी, जो ठेके की धनराशि में समायोजित नहीं की जायेगी एंव सफल रूप से ठेका समाप्त करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
2. ठेके से संबंधित सभी शर्तें नगर निगम सहारनपुर के नोटिस बोर्ड में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्तें नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com व एन0आई0सी0 की वेबसाईट www.saharanpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।
3. ठेका विना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर में निहित होगा।
4. जिन ठेकेदारों द्वारा गत वर्षों के ठेके की समस्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा नही करायी गयी है, उनका ऑफर मान्य नही होगा, तथा जिन ठेकेदारों को नगर निगम द्वारा डिफाल्टर घोषित/ब्लैकलिस्टेड किया हुआ है, वह भी नीलामी में भाग नही ले सकेगें।
5. ऑनलाईन निविदा दिनांक 22.08.2024 को अपरान्ह् 12:00 बजे तक ऑनलाईन के माध्यम से एवम तद्दिनांक को अपरान्ह् 02:00 बजे निविदां गठित समिति एंव निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
6. टैण्डर शुल्क सभी ठेकों में अंकन 1298/- रू0 (जी0एस0टी0 सहित) देय होगा।
7. निविदादाता को उक्त ठेके की निविदा की शर्तो के अनुसार अपने प्रपत्र/दस्तावेज़ व जमानत राशि ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही जमा करने होगी।

30/7/24 30.7.24

कर अधीक्षक
नगर निगम सहारनपुर।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 30.07.2024 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कुतुवशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
3-रिकार्ड कीपर को निविदा की व्यवस्था कराने हेतु।
4-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

कार्यालय नगर निगम, सहारनपुर।

--:: ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत यूजर चार्ज वसूली हेतु ठेके की शर्ते::--

1. यह कि इस ठेके के अन्तर्गत जिन व्यवसायिक भवनों से कूड़ा-कचरा एकत्रित किया जायेगा, उनसे यूजर चार्ज की वसूली होनी है, वसूली उत्तर प्रदेश गजट, 18 नवम्बर 2017 में उल्लेखित निर्धारित दरों के आधार पर की जायेगी।
2. यह कि उक्त ठेके की अवधि 02 वर्ष होगी, जो अनुबन्ध के दिनांक से प्रारम्भ होगी।
3. यह कि इस ठेके के अन्तर्गत ठेकेदार को व्यवसायिक भवनों से यूज़र चार्ज वसूल करना होगा। नगर निगम द्वारा ठेका यूजर चार्ज की न्यूनतम ऑफर अंकन धनराशि 13,92,831/- रू0 प्रतिमाह(जी0एस0टी0 सहित) है, जो भी सर्वोच्च ऑफर प्राप्त होगा, उसमें अगले वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
4. यह कि ठेकेदार को प्रतिमाह ठेके की धनराशि का भुगतान 10 तारीख से पहले करना होगा, यदि 10 तारीख के बाद भुगतान किया जाता है, तो उस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
5. टैण्डर प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व शपथ प्रमाण पत्र(फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नहीं है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है। ठेके में निर्धारित जमानत राशि ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही जमा करनी होगी, जो ठेके की धनराशि में समायोजित नहीं की जायेगी एंव सफल रूप से ठेका समाप्त करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
6. यह कि उच्चतम निविदादाता द्वारा शर्त सं0 4 का उल्लंघन करने पर उसके द्वारा जमा जमानत राशि एंव जमा धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा, ठेका निरस्त करते हुये भविष्य में होने वाले निगम के ठेकों के लिये ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा, तथा बकाया धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।
7. यह कि ठेकेदार को सम्बन्धित उपभोक्ताओं को अपने स्तर से ही बिल जारी करने होंगे और अपने स्तर से ही वसूली करनी होगी, यूजर चार्ज सम्बन्धित समस्त व्ययों का वहन ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा।
8. यह कि ठेकेदार को निर्धारित मूल्य 04 प्रतिशत के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, अनुबन्ध निष्पादित होने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी हो सकेगा, स्टाम्प पेपर की कमी के लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
9. यह कि यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे प्रकरणों की सुनवाई हेतु एक दण्डाधिकारी नगर आयुक्त महोदय द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. यह कि अपरिहार्य कारणोंवश जैसे प्राकृति आपदा अथवा प्रशासनिक कारणोंवश यदि वसूली प्रभावित होती है, तो उसका परीक्षण कराया जायेगा कि किन कारणों से वसूली प्रभावित हुयी है, यदि परीक्षण उपरान्त वूसली प्रभावित होने का तथ्य प्रकाश में आता है, तो उस अवधि में नियमानुसार छूट दिये जाने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय के पास सुरक्षित होगा।
11. यह कि ठेकेदार की तरफ किसी भी तरह की बकाया धनराशि को बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।
12. यह कि ठेकेदार को शासन/प्रशासन/नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। जिसके लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
13. यह कि नगर आयुक्त को किसी भी समय निविदा स्थगित करने, निरस्त करने का कोई कारण बताये बिना अधिकार होगा।
14. यह कि इस ठेके के अन्दर यदि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद होता है, तो प्रथम अपील नगर आयुक्त को करनी होगी, तदोपरान्त न्याय क्षेत्र सहारनपुर होगा।
15. यह कि ठेका निविदा में टैण्डर शुल्क अंकन 1298/- रू0(जी0एस0टी0सहित) देय होगा।
16. यदि किसी निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, और वह तथ्य छिपाकर ठेका लेने में कामयाब हो जाता है, और बाद में तथ्य उजागर होता है, तो ऐसे ठेकेदार के विरूद्ध जमानत राशि जब्त करने व ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी, अपराधिक कार्य होने पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी।
17. यह कि यदि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्र/अभिलेख कूटरचित पाये जाते है, तो सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

30/7/24	30.7.24
कर अधीक्षक	अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।	नगर निगम सहारनपुर।